

# न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0- 02 / 2022-23

सूर्यदेव पहाड़िया बनाम रैयान मौजा-तेसरो

-: आदेश :-

14.10.2022

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक सूर्यदेव पहाड़िया, पे0-स्व0 रूपा पहाड़िया, सा0-कटाल पहाड़, थाना-राजाभीठा, अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा ने संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-तेसरो नं0-37P के ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर का पत्रांक-660/रा0 दिनांक-22.08.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-तेसरो नं0-37P एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के पूर्व प्रधान रूपा पहाड़िया था, जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण प्रधानी पद रिक्त है, जिसके लिए सूर्यदेव पहाड़िया, पे0-स्व0 रूपा पहाड़िया द्वारा आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। वंशावली के आधार पर आवेदक सूर्यदेव पहाड़िया अंतिम मृत प्रधान रूपा पहाड़िया का ज्येष्ठ पुत्र है। आवेदक सूर्यदेव पहाड़िया को प्रधान नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः आवेदक के आवेदन के विरुद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा-तेसरो नं0-37P अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा को संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-तेसरो नं0-37P का प्रधान सूर्यदेव पहाड़िया को नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

14.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

14.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

Seen by  
Subhash Chandra Singh  
5/11/22